जेपीआर5–407.

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(मुख्य अभियंता (वाणिज्य)

क्रमांकःजेपीडी / मुअ(वाणिज्य) / सी–1 / एफ4(251) / पार्ट–v/प्रे 1318 दिनांक 20.7.07

–: आदेश :–

विषयः– ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू कनेक्शन जारी करने के लिये " प्रार्थना पत्र"के साथ सिर्फ "प्रार्थना पत्र शुल्क"ही लेने के सम्बन्ध में।

माननीय राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी "सप्लाई कोड(Supply Code)" एवं उनके द्वारा स्वीकृत "टर्मस एवं कन्डीशन्स फॉर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रीसिटी –2004 (TCS-04)" के प्रावधानानुसार ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू श्रेणी के कनेक्शन जारी करने के लिये आवेदक को प्रार्थना पत्र के साथ ही "प्रार्थना पत्र शुल्क," "स्थाई सेवा शुल्क," "विद्युत उपभोग" एवं "मीटर" अमानत राशि तथा "मीटर बॉक्स की कीमत" इत्यादि जमा करानी होती है।

आवेदक द्वारा प्रार्थना–पत्र के साथ ही उपरोक्तानुसार पूरी राशि जमा कराने से आवेदक यह चाहता है कि उसका कनेक्शन जल्द से जल्द हो जाना चाहिये । लेकिन कई बार कनेक्शन जारी करना तकनीकी रूप से साध्य नहीं होता। इस परिस्थिति में आवेदक को कनेक्शन नहीं मिलने या देरी होने से असुविधा होती है।

अतः इस विषय में विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू कनेक्शन हेतु प्रार्थना पत्र के साथ केवल "प्रार्थना पत्र शुल्क" ही जमा किया जावे एवं आवेदक के कनेक्शन की तकनीकी साध्यता जॉचने के बाद ही अन्य राशि मॉग–पत्र के माध्यम से मांगी जावें ।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

आज्ञा से,

20/7

(बी.एल.अग्रवाल)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

C:\Documents and Settings\jaipurdiscom\My Documents\MEENA\Order.doc